भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2561
उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025
26 फाल्गुन, 1946 (शक)

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का प्रारूप

†2561. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :
श्री बलवंत बसवंत वानखडे :
श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिनिधित्व में चुनौतियों के समाधान के संबंध में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के प्रारूप का क्या प्रभाव पड़ने की अपेक्षा है;

(ख) क्या सरकार ने एथलीटों और एनएसएफ सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किया है और इन परामर्शों से क्या महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विधेयक को अंतिम रूप देने और इसे कार्यान्वित करने की समय-सीमा क्या है, तथा एनएसएफ द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग) : युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का मसौदा तैयार किया है जिसे पूर्व विधायी परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/ सुझावों को आमंत्रित करने के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया था। इसके अलावा, मंत्रालय ने 17.10.2024 को राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के साथ और 23.10.2024 को कोचों, खिलाड़ियों और खेल अधिवक्ताओं के साथ परामर्श बैठक आयोजित की।

उक्त विधेयक खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, खेलों में नैतिक कार्यपद्धतियों और संस्थागत क्षमता के निर्माण पर केंद्रित है। यह ओलंपिक और खेल अभियान में सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर खेल

परिसंघों के शासन के लिए विवेकपूर्ण मार्गदर्शक मानक भी निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, यह ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों और स्थापित विधि मानकों के अनुरूप है।

उक्त विधेयक में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एनओसी), राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (एनपीसी) और एनएसएफ स्तर पर आचार आयोगों और विवाद समाधान आयोगों की स्थापना सहित खेल परिसंघों में नैतिक प्रशासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

(घ) चूंकि मसौदा विधेयक को संसद द्वारा पारित किया जाना अपेक्षित होगा, इसलिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी जा सकती।

****